

कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

ई-नीलामी सूचना

रामगढ़ताल परियोजना के उ तर्गत देवरिया बाईपास रोड (एस0टी0पी0 के निकट) स्थित कियास्क संख्या-04 एवं 05 तथा गौतम बुद्ध द्वार (पैडलेगंज) स्थित कियास्क संख्या-02 को ई-नीलामी के माध्यम से मासिक किराये पर आवंटन हेतु दिनांक 02/6/2025 से दिनांक 19/6/2025 तक पंजीकरण खोला गया है, जिसकी ई-नीलामी दिनांक 20/6/2025 को सम्पन्न होगी। ई-नीलामी से सम्बन्धित नियम शर्तें व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in पर उपलब्ध है। सभी बोलीदाता नियमित रूप से वेबसाइट में ई-नीलामी देखते रहें, अलग से किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की जानकारी अन्य माध्यम से नहीं दी जाएगी। आवेदन पत्र आन लाईन ही स्वीकार किया जायेगा।

21/05/25
(पुष्पराज सिंह)
पी0सी0एस0
सचिव

01/05/25
(आनन्द वर्धन)
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष

रामगढ़ताल परियोजना अन्तर्गत देवरिया बाईपास रोड (एस0टी0पी0 के निकट) स्थित कियास्क संख्या-04 एवं 05 तथा गौतम बुद्ध द्वार (पैडलेगंज) स्थित कियास्क संख्या-02 को ई-नीलामी के माध्यम से किराये पर आवंटन हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं:-

- 1- देवरिया बाईपास रोड (एस0टी0पी0 के निकट) स्थित कियास्क संख्या-04 एवं 05 क्षेत्रफल-14.139 वर्ग मीटर तथा गौतम बुद्ध द्वार (पैडलेगंज) स्थित कियास्क संख्या-02 क्षेत्रफल-14.139 वर्ग मीटर का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से 05 वर्षों के लिए किराये पर किया जायेगा।
- 2- कियास्क के लिए आवेदक को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए रू0-2,65,000.00 धरोहर धनराशि जमा करना होगा।
- 3- कियास्क का न्यूनतम आरक्षित किराया प्रतिमाह रू0-14,500.00 है।
- 4- परिवार का कोई एक सदस्य ही नियमानुसार ई-नीलामी में भाग ले सकेगा।
- 5- निविदा की बोली में प्रतिस्पर्धात्मक दर निर्धारित करने तथा कम दर प्राप्त होने पर निविदा की बोली को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा।
- 6- कियास्क का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा।
- 7- कियास्क का किराया बिलम्ब से जमा करने पर 15प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।
- 8- निरन्तर 04 माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा धरोहर धनराशि को जब्त कर कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
- 9- कियास्क के 06 माह का किराया जी0एस0टी0 सहित अग्रिम के रूप में जमा करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 10- कियास्क के 06 माह का किराया जी0एस0टी0 सहित अग्रिम के रूप में जमा करके पंजीकृत इकरारनामा निष्पादित कराने के पश्चात ही कब्जा दिया जायेगा।
- 11- नीलामी में असफल बोलीदाता को उनके द्वारा जमा धरोहर धनराशि में से प्रशासनिक व्यय रू0-1000.00 मात्र की कटौती के उपरान्त अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 12- कियास्क में खाद्य पदार्थ/खिलौना/आईसक्रीम आदि का व्यापार अनुमन्य होगा तथा किसी भी प्रकार के नशे आदि का व्यापार अनुमन्य नहीं होगा।
- 13- निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त कियास्क का अन्य कोई उपयोग किये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 14- कियास्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आदि किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा तथा कियास्क का विभाजन करना भी अनियमित माना जायेगा। ऐसा करने पर आवंटी किरायेदार द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए आवंटन/किरायेदारी उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
- 15- किसी भी शासकीय कर/जी0एस0टी0 आदि के भुगतान का दायित्व किरायेदार का होगा।
- 16- कियास्क में विद्युत/पानी कनेक्शन लेने तथा कियास्क व उसके आस-पास साफ-सफाई रखने का दायित्व आवंटी किरायेदार का होगा।

MSK